न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 57/2017
आरसीएमएस नं0 2017/00208
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. रमेश कुमार पुत्र भूप सिंह जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. धर्मपाल पुत्र जीयाराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. लिखमाराम पुत्र पूर्णराम जाति मेघवंशी साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. निकूराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. जोतराम पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा, हरियाणा
4. प्रेमचन्द पुत्र भींयाराम जाति सुथार साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–असल रेस्पोडेण्ट

5. शारदा पत्नी भागाराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
6. वेद प्रकाश पुत्र भागाराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
7. महेन्द्र पुत्र जीयाराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
8. शकुन्तला पुत्री जीयाराम पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी फतेपुरिया नियामत खा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. सावित्री पुत्री जियाराम पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी गुडिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
10. मुखी पुत्री जियाराम पत्नी खुमाणाराम जाति जाट निवासी फतेहाबाद तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट

11. इन्दू पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
12. प्रदीप कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
13. मांगेराम पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
14. श्योकौरी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

—रेस्पोडेण्ट(अप्रार्थीगण नं. 6 ता 9)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.02.2017

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर,

प्रकरण संख्या 27/2014 बअनवानी लिखमाराम आदि बनाम भूपसिह

श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय सिह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4

निर्णय दिनांकः— 8.9.2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनिमय की धारा 251 'क' के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अन्तर्गत अपनी भूमि के लिए आवागमन हेतु अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के खेत वाके रोही मौजा चक 3 बारानी त0 नोहर के प. नं. 330/355 (141) के किला नं. 20, 21 के पश्चिम साईड में दक्षिण से उत्तर एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही रास्ता मौजूद है। चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण के खेत को नहीं जोड़ता है तथा किला नं. 20, 21 में गैरसायलान ने ढाणी बना रखी है एवं परिवार सहित निवास करते हैं। सायलान एवं तरतीबी गैरसालान नं. 6 ता 9 ने गैरसायल नं. 1 ता 5 को तंग परेशान करने की नियत से प्रार्थना-पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत ने यह अवधारणा पारित कर कि प. नं. 330/254 के किल. नं. 5, 6, 15, 16, 25 व प. नं. 30/355 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में भाखड़ा उपनिवेशन विभाग द्वारा स्वीकृत 3-3 बिस्वा रास्ता को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा क्षेत्राधिकारिता रहित निरस्त कर देने पर इस रास्ता को बहाल करवाने का दायित्व अपीलांट पर थोप कर कतई मनमाना निष्कर्ष पारित किया है। भू पंबन्ध विभाग द्वारा स्वीकृत रास्ता के इन्द्राज को बिना सक्षम न्यायलाय के आदेश के समाप्त करने का अधिकार नहीं था तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती व विधि विरूद्ध कार्यवाही से अपीलांट की बजाय रेस्पेडेण्ट सं0 1 ता 4 ही पीडित थे क्योंकि यह सुविधाजनक रास्ता रेस्पोडेण्ट की भूमि में उपनिवेशन विभाग ने स्वीकृत किया था। उपनिवेशन विभाग द्वारा रास्ता के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था के प्रतिकूल नया रास्ता स्वीकृत करने का मातहत अदालत को अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ते प. नं. 330/355 (141) किला नं. 20, 21 में अपीलाण्ट का मकान व शौचालय बना है मकान एवं नलकूप 2005 से पूर्व से निर्मित थे जो तहसील की रिपोर्ट से भी यह अंगित नहीं हेाता कि यह निर्माण ताजा व नया हो। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने केवल अपीलाण्ट की भूमि में से ही रास्ता मांगा है परन्तु रेस्पोडेण्ट की भूमि अपीलाण्ट की भूमि किला नं. 20, 21 के चिपते हुए नहीं है बल्कि इस भूमि के मध्य किला नं. 11 से 15 है रेस्पोडेण्ट संख्या सं0 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

से 12 की भूमि है इस भूमि में से कोई रास्ता नहीं मांगा गया है। विचारण न्यायालय ने रास्ते के बदले अपीलाण्ट को भूमि देने के आदेश दिये हैं जबकि अपीलाण्ट की भूमि रेस्पोडेण्ट की भूमि से चिपती हुई भूमि नहीं है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट चिपते काश्तकार हैं। प्रश्नगत किला नं. 20 एवं 21 में पश्चिम तरफ दक्षिण से उत्तर के रास्ते अपने खेत में प्रवेश करते है। यही रास्ता रेसपोडेण्ट के लिए सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपीलाण्ट रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है। रास्ते की भूमि में मकान बनाने की धमकी दे रहे है। यदि रास्ता बन्द हो जाता है तो रेस्पोडेण्ट को अनावश्यक परेशानी होगी। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन रास्ता स्वीकृत किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी भूमि में आवागमन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर प. नं. 330/355 (141) के किलानं. 20, 21 जो अपीलाण्ट की भूमि है में से रास्ता स्वीकृत करवाया गया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय के अनुसार रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त किला नं. 21 में मकान व शौचालय बनाया जाना पाया गया है। पूर्व में भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा पैमाईश के दौरान रास्ते के अंकन को गलत तौर से हटाया गया है या सही तरीके यह तथ्य इस प्रकरण में तय नहीं किया जाना है रेस्पोडेण्ट भू प्रबन्ध विभाग के रिकार्ड के अंकन के संबंध में किसी प्रकार का एतराज है तो वह अलग से कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि रास्ते की आवश्यकता रेस्पोडेण्ट को है अपीलाण्ट को नहीं है। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह भादू, आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़